

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक: एफ 27()ग्राविवि/गुप-5/PMAY/किया.समिति/2016 जयपुर, दिनांक 09 फरवरी, 2017


—: आदेश 2017/30 :—

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश (फ्रेमवर्क) की पालना में योजना के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन एवं निगरानी एवं समन्वयन हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति का गठन एतद् द्वारा किया जाता है।

1	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि	सदस्य
3	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4	प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
5	प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
6	महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	सदस्य
7	शासन सचिव एवं आयुक्त, परावि	सदस्य
8	आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा	सदस्य
9	निदेशक स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण	सदस्य
10	अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य
11	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य सचिव


यह समिति प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत स्वीकृत मकानों को समय पर पूरा करने के लिए रोडमैप एवं अन्य योजना के साथ ताल-मेल, योजना की सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करना, प्रगति की समीक्षा आदि समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (ग्रामीण विकास) होगा।


(सुदर्शन सेठी) 9.2.2017
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
10. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परावि।
11. निजी सचिव, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर।
12. निजी सचिव, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, जयपुर।
13. अध्यक्ष राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली / PDC(M&E) के website पर Upload करना।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)